उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या-05/2017/2542 ई-2/तेरह-2016-04(अधि0)/2015
लखनऊ: दिनांक: 07 फरवरी, 2017
कार्यालय आदेश

श्री राजेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, आबकारी अनुभाग-1, उ0प्र0 सचिवालय द्वारा पत्नी श्रीमती केशवती की चिकित्सा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के चिकित्सक डा0 ए0के0 जायसवाल लखनऊ से दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 से 04 मई, 2016 तक कराये गये इलाज पर व्यय हुई धनराशि रू0 4,730/- (रू0 चार हजार सात सौ तीस मात्र) के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिपूर्ति दावे के परीक्षणोंपरान्त अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेन्सरी बापू भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 05 अक्टूबर, 2016, द्वारा रू0 4,730/- की धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने की संस्तुति की गई है।

2- श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी को उनकी पत्नी की चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि रू0 4,730/- के प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावे के विरूद्ध अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेन्सरी बापू भवन, लखनऊ द्वारा अनुमन्य की गई धनराशि रू0 4,730/- (रू0 चार हजार सात सौ तीस मात्र) की प्रतिपूर्ति श्री राजेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी आबकारी अनुभाग-1 को करने की स्वीकृति चिकित्सा अनुभाग-6 की अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर, 2011 उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली,2011 एवं सपठित अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2014 में निहित व्यवस्थानुसार एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त धनराशि का भुगतान वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 12/2015/ ए-1-544/ दस-2015-10 (6)/90, दिनांक 31 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थान्तर्गत निम्नानुसार उनके खाते में डाली जायेगी:-

पी0पी0ओ0 संख्या	**पे0से0/एम0आई0/026/513/002385**
बैंक खाता संख्या-	बचत खाता संख्या-**10223013626**
बैंक का नाम व शाखा	भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा
आई0एफ0एस0कोड	**SBIN 0006893**
कोषागार का नाम	जवाहर भवन, लखनऊ

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान संख्या- 62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ 01-सिविल-800-अन्य व्यय-04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता -0402 दिनांक 08-11-2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों एवं अधिकारियों तथा उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता -49 चिकित्सा व्यय के नामें डाला जायेगा।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या-05/2017/2542(1)/तेरह-2016- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी (लेखा) परिवहन सचिव शाखा को प्रश्नगत संस्तुत धनराशि रू0 4,730/- के मूलबिल की प्रतियां सहित एक अतिरिक्त प्रति।
4- सचिवालय प्रशासन(बजट सेल) अनुभाग।
5- श्री राजेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी को उनके निवास-12 नेहरू नगर, लखनऊ 226004 को सूचनार्थ।
6- वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।